

24¹¹ आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
व वादी स. 1/2 लब्ध हुए। वादी जलिये वकील के
उपास्थित होकर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण
में पक्षगते का आपस में राजीनामा हो गया।
इसलिए पत्रावली में आगे कापिकाफी नहीं चाहिए
है। इसलिए पत्रावली को इसी स्तर पर नोट-प्रेषण
में खालि करने की घ्या करे।
हमारे हाथ बुलाय की ध्यान रखी

पत्रावली का अध्यापन किया गया। बाद-पत्र
में पक्षगते का आपस में राजीनामा होने से
हम पत्रावली को आगे चलाये जाना उचित नहीं
समझते हैं। जिस स्तर में वादी का बाद-पत्र
इसी स्तर में नोट-प्रेषण में खालि किया जाय
है। पत्रावली फौजल शुमार होकर नम्बर समक
है। वाक पूर्ति धारित दण्डर है।

उपखण्ड अधिकारी
सरोज (सिंहपूतली-बहरोडा)